(28)

समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)
****

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का]
0621-2212105 [आ] 2217285 [फै]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 06.01.2017 को मद्य निषेध कार्यक्रम के तहत् मानव श्रृंखला निर्माण की तैयारी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

विभागीय निदेशानुसार दिनांक 21.01.2017 को मद्य निषेध अभियान के तहत मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है । विभाग के द्वारा इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है । उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया :–

1. सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 21.01.2017 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला निर्माण से संबंधित विभाग से प्राप्त अद्यतन दिशानिर्देश से सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभाग द्वारा इस कार्यक्रम हेतु शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है । जानकारी दी गई कि शराबबंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला निर्माण का कार्यक्रम राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । इस हेतु जिले के सभी विभागीय पदाधिकारियों की समानान्तर जिम्मेदारी होती है कि इसे सफल बनायें । पूरे बिहार में लगभग 2 करोड़ लोगों की भागीदारी मानवश्रृंखला में होनी है । अद्यतन दिशानिर्देश के आलोक में **मुख्य मार्ग** के अलावा विभाग द्वारा इस जिले के लिए 350 किलामीटर का **पूरक मार्ग** निर्धारित किया गया ।

1.1 सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि मुजफ्फरपुर जिले के लगभग 9 लाख लोगों को मानव श्रृंखला निर्माण में शामिल किया जाएगा, जो कुल आबादी का 20 प्रतिशत होगा । इसलिए सभी स्तरों पर अविलंब सार्थक एवं सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है ।

1.2 कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं01 एवं 2 को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए एवं संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर दो दिनों के अन्दर **पूरक मार्ग** का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए । उप श्रृंखला का प्रस्ताव बनाते समय मानव श्रृखला हेतु मानवबल की उपलब्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए ।

2. सभी विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने विभाग के अधीनस्थ जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ बैठक कर मानव श्रृंखला निर्माण हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार एवं अपेक्षित सहभागिता सुनिश्चित करेंगे । यह भी निदेश दिया गया कि अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से लगातार सम्पर्क में रहने तथा आवश्यक सहयोग हेतु निदेशित किया जाए ।

2.1 बताया गया कि अब समय बहुत कम शेष है । सभी विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृखला हेतु विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को जबावदेही दिया जाए एवं अधिक से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए ।

3. जानकारी दी गई कि सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा यह कार्यक्रम सफल होगा ऐसा उम्मीद है । मानव श्रृंखला में लोग बढ़–चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें इस हेतु अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है । लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना होगा, ताकि वे खुद इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने हेतु तत्पर हो जायें ।

4. जानकारी दी गई कि जिलास्तर के सभी विभागों के सभी सरकारी एवं संविदागत कर्मी/सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय/उच्च विद्यालय/उच्चतर विद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक कर्मी, आशा दीदी, सेविका सहायिका एवं छात्र–छात्रायें मानव श्रृंखला में भाग लेंगे । इसके अलावा जीविका एवं साक्षरता से जुड़े कर्मी एवं सभी जन प्रतिनिधियों के साथ महिला, पुरूष भी भाग लेंगे । सभी नियंत्राधीन पदाधिकारियों/विभागाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को जबावदेही देते हुए इस अभियान में शतप्रतिशत भागीदारी तैयार रखें एवं लोगों को उत्साहित करने एवं उनके बीच जागरूकता फैलाने हेतु निदेशित किया जाए ।

5. मानव श्रृंखला निर्माण हेतु जिलास्तर पर गठित कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों एवं कोषांग से सम्बद्ध सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सौंपे गये उत्तरदायित्व के अनुरूप सभी प्रकार की गतिविधियों/क्रियाक्लापों को ससमय मूर्तरूप देने हेतु अभी से कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए ।

6. सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिलास्तर/प्रखण्डस्तर/पंचायतस्तर पर क्या–क्या कार्यक्रम/गतिविधयों आगे की जानी है इसका विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसका गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए ।

7. सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपलब्ध कराये गये चेकलिस्ट के अनुसार प्रखण्डस्तर पर सभी पदाधिकारियों/पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों/सभी स्तर के कर्मियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र बैठक कर ली जाए । उक्त बैठक में ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड एवं टोलास्तर के जिम्मेदार कर्मियों एवं प्रभावी व्यक्तियों को भी बुलाया जाए । बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों/जन प्रतिनिधियों को मानवबल की उपलब्धता/जागरूकता एवं मानव श्रृंखला को नियंत्रित करने की स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर ली जाए । निर्धारित मुख्य मार्ग के अलावा पूरक मार्ग को चिन्हित एवं सुनिश्चित कर ली जाए ।

8. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों/पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों/सभी स्तर के कर्मियों को पंचायत, ग्राम, वार्ड एवं टोलास्तर पर भेजकर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की कार्रवाई की जाए ।

9. प्रखण्डस्तरीय बैठक के अलावा चेकलस्ट के अनुसार स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक बैठकें आहूत करा ली जाए ।

10. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण के क्रम में प्रखण्ड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से एवं पंचायतों को प्रखण्ड मुखयालय से जोड दिया जाए । निर्धारित मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग में कहीं भी मानव श्रृंखला टूटे नहीं इसका विशेष ध्यान रखा जाए ।

11. अनुमंडलाधिकारियों एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यातायात नियंत्रण से संबंधित कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र उपलब्ध करायी जाए । इस हेतु जिलास्तर पर संयुक्त आदेश जारी कराने का निदेश वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा को दिया गया ।

12. मानव श्रृंखला निर्माण दिवस में विधि–व्यवस्था संधारण हेतु संबंधित पदाधिकारियों को जवाबदेही निर्धारित कर दी जाए । इस हेतु आदेश जारी कराने का निदेश वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा को दिया गया ।

13. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु निर्धारित **मुख्य मार्ग** एवं चिन्हित **पूरक मार्ग** पर प्रत्येक 200 मीटर की दूरी एक समन्वयक एवं प्रत्येक एक किलीमीटर की दूरी पर एक सेक्टर इंचार्ज की प्रतिनियुक्ति प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से करा दी जाए । साथ ही इसकी सूची सभी प्रखण्डों से प्राप्त कर जिलास्तरीय संबंधित कोषांग को उपलब्ध करायी जाए ।

14. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची आवश्यक विवरणी के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त करते हुए तत्संबंधी कोषांग को उपलब्ध करा दी जाए ।

15. पथ निर्माण विभाग/राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि इस जिले से गुजरने वाली सभी राष्ट्रीय उच्च पथों की सीमा निर्धारित करते हुए कुल लंबाई के साथ नजरी नक्शा तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

16. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु यदि लोगों को दूर–दराज इलाकों से परिवहन कर लाने की आवश्यकता हो तो उसका पूर्व से योजना बना ली जाए ।

17. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि मानव श्रृखला हेतु लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये, बैनर, फलेक्सी, स्लोगन को सभी सार्वजनिक एवं सुगोचर स्थलों पर चस्पा दिया जाए ।

17.1 जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि निदेश दिया गया कि सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों एवं उन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के माध्यम से मानव श्रृंखला निर्माण में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु सघन प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता का कार्यक्रम चलायें । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि साक्षरता कर्मियों के माध्यम से दीवाल लेखन का कार्य शीघ्र करायी जाए ।

17.2 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि जग जागरूकता हेतु कलाजत्था की टीम कब और कहा--कहां जाएगी इसका तिथिवार समय सीमा के साथ कार्यक्रम बना लिया जाए । इस कार्य हेतु किन्हें जवाबदेही दिया जाएगा के संबंध में आदेश जारी करा दिया जाए । निदेश दिया गया कि साक्षरता के सभी कर्मियों, टोला सेवक, साधन सेवियों को लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जाए ।

17.3 जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तर पर सभी साक्षरता कर्मियों, साधन सेवियों, सी.आर.सी.सी., बी.आर.पी. एवं प्रखण्ड शिक्षा पदधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जवाबदेही निर्धारित कर दी जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इनका नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए । इसके अलावा यह भी निदेश दिया गया कि अगले एक सप्ताह मे की जाने वाली सभी गतिविधियों/कार्यक्रमों को समेकित करते हुए उसकी रूपरेखा तैयार कर शीघ्र उपलब्ध करायी जाए एवं उसका अनुपालन कराया जाए ।

17.4 जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिलासतर/प्रखण्डस्तर पर शीघ्र सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले छात्र--छात्राओं की संख्या का आकलन करते हुए उसकी सूची तैयार कर ली जाए एवं विद्यालय शिक्षकों को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाए । उन्हें बताया जाए कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

17.5 निदेश दिया गया कि जागरूकता कार्यक्रम में सभी साक्षरता प्रेरकों, जीविका दीदियों, आशा कार्यकर्ताओं, ममता दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं, तालिमी मरकज के शिक्षकों, विकास मित्र, किसान सलाहकारों को भी लगाया जाए तथा उन्हें जवाबदेही निर्धारित कर दिया जाए । यह भी निदेश दिया गया कि एक–एक गांव तक कर्मियों को भेजकर लोगों को जागरूक बनाये एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ।

17.6 जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि सभी विद्यालयों में प्रभात फेरी, गोष्ठी, संवाद/भाषण आदि का नियमित रूप से कार्यक्रम चलाया जाए एवं लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए ।

18. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/जिला शिक्षा पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए वार्डवार/पंचायतवार मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले लोगों को लाने एवं उनके नेतृत्व करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर ली जाए एवं उसकी सूची बनाकर उन्हें जवाबदेही दे दी जाए । यह कार्य दिनांक 07.01.2017 तक निश्चित रूप से करा ली जाए ।

19. सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तर पर सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, बी0सी0एम, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधकों, आशा फेसिलीटेटर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक निदेश दे दिया जाए । साथ ही इन कर्मियों के माध्यम से जागरूकता फैलाने की भी कार्रवाई की जाए ।

19.1 सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि जिले एवं प्रखण्ड में उपलब्ध एम्बुलेंस वाहन निर्धारित मानव श्रृंखला के मार्ग में नियत स्थानों पर मानव श्रृखला के दिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

20. जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसान सलाहकारों के माध्यम से मद्य निषेध के विषय पर किसानों के बीच जाकर किसान गोष्ठी का आयोजन कराया जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु उन्हें उत्साहित एवं जागरूक बनाया जाए ।

21. मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित मार्ग में जगह–जगह अस्थायी शौचालय का निर्माण कराया जाना है । इस हेतु सभी आवश्यक तैयारी कर लेने का निदेश कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को दिया गया ।

22. उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के द्वारा सुझाव दिया गया कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने हेतु जिलास्तर/प्रखण्डस्तर साईकिल रैली एवं पैदल मार्च कराया जा सकता है ।

23. नदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तर पर एवं जिलास्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं राजनैनिक दलों को बुलाकर दिनांक 07.01.2017 तक बैठक करा ली जाए ।

24. उप विकास आयुक्त एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी स्वंयसेवी संस्थाओं, रोटरी क्लब, एन0सी0सी0/एन0एस0 के प्रधान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि की जिलास्तर पर बैठक आहूत करा ली जाए एवं उन्हें आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दी जाए ।

25. नवोन्मेष (Innovation) कोषांग के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला में भागीदारी से संबंधित जिलास्तर पर एक अपील तैयार कर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया जाए । इस हेतु पूर्व से ही सभी आवश्यक तैयारियाँ एवं उसकी रूपरेखा सुनिश्चित करा ली जाए । इसका एक राइटप भी तैयार कर ली जाए ।

26. प्रखण्डस्तर पर दैनिक रूप से मानव श्रृंखला निर्माण हेतु क्या–क्या कार्रवाई की जानी है उसका रूपरेखा तैयार कर शीघ्र सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिये जाने का निदेश दिया गया।

27. सभी प्रखण्डो के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 07.01.2017 को अपने–अपने प्रखण्डों में जाकर सभी जनप्रतिनिधियों एवं सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों/पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दैनिक रूपरेखा तैयार करा ली जाए एवं उसका कार्यान्वयन प्रारंभ करा दिया जाए ।

28. सभी अनुमंडलाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला की तैयारी हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के कार्यो का नियमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाए तथा समय–समय पर आवश्यक निदेश दिया जाए ।

~~अन्त में सधन्यवाद~~ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 98 /गो., दिनांक 07/01/17

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, अपदा प्रबंधन/विभागीय जांच/अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/सहायक समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/ अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/पुलिस उपाधीक्षक, नगर/पूर्वी/पश्चिमी/सरैया/वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका/जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/निदेशक, एन.ई.पी./निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी.आर.डी.ए., मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी/जिला लेखा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नोडल पदाधिकारी, आर.टी.पी.एस./प्रभारी पदाधिकारी, एम.डी.एम., मुजफ्फरपुर एवं समाहरणालय स्थित सभी प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा/सभी थानाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय अन्य पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पूर्वी/पश्चिमी/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या 01 एवं 02, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पूर्वी–1 एवं 2/पश्चिमी/कार्यपालक अभियंता, एन0एच0,–1/2, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

07/01/17

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।